Fourteenth Loksabha

Session: 7

Date: 21-02-2006

Participants: Rathod Shri Harisingh Nasaru

an>

Title: Need to include 'Gorboli' language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री हिरभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, बंजारा समाज पूरे देश में फैला हुआ जो कि करीबन सात करोड़ के आसपास में है एवं अपनी अलग भााा बोलता है, जिसे गोरबोली कहते हैं। यह भााा और भी तीन करोड़ के आसपास दूसरे समाज के लो भी बोलते हैं, जानते हैं। यह भााा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में हर एक भााा का संवर्धन करने का प्रावधान है। जब यह गोरबोली इतनी बड़ी तादाद में देश में बोली जाती है तो इसे भारतीय संविधान के दायरे में लाया जाये।

इसे भारत की अखंडता, एकता और भाइचारे का रूप मानना चाहिए। इतनी विशालता बंजारा समाज के गोरबोली में दिखायी पड़ती है। मेरी यह मांग है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के दायरे में गोरबोली को लाना चाहिए। हमने देखा है बहुत छोटी तादाद में बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाा को भारतीय संविधान के आठवीं सूची में स्थान मिला है। मेरी सरकार से यह मांग रहेगी कि भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में बंजारा समाज की गोरबोली को स्थान एवं मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि भारत के करीबन दस करोड़ लोग बंजारा गोरबोली को समझते हैं।